उद्यान विभाग में उद्यान अर्थ शास्त्री, श्रेणी-1 (राजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम।

HE

उद्यान विभाग

अधिसूचना

संख्या:उद्यान-क(3)4/81-II दिनांक शिमला-2, 6.2.1988

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग हि०प्र० की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में उद्यान अर्थशास्त्री श्रेणी-1 (राजपत्रित) वेतनमान रूपये 1400-2000 पद के लिये भर्ती एवम् पदोन्नति नियम जो इस विभाग की अधिसूचना संख्या उद्यान-क(3)4/81-II, दिनांक 3.9.87 द्वारा अधिसूचना किए गये थे को निष्प्रभावित करते हुये इस अधिसूचना में संलग्न अनुबन्ध -4 (के अनुसार उद्यान अर्थशास्त्री वर्ग प्रथम राजपत्रित के भर्ती एवं पदोन्नति नियम सहर्ष बनाते है।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस के आगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचना सं० 255/69-होर्ट (सैक्ट) दिनांक 19.12.71 तथा समय-समय पर इन नियमों में किये गये संशोधन अधिसूचित कोकनिरसन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है शर्ते कि यह निरसन पहले बनाये गये भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नही डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग प्रथम (राजपत्रित) सेवायें नियम 1988 कहलायेंगे।

(II) यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।।

(एस०एम०कंवर)
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव
(उद्यान) हि०प्र० सरकार

अनुबन्ध-4

उद्यान विभाग में श्रेणी-I (राजपत्रित)

1.	पद का नाम:	उद्यान अर्थशास्त्री
2.	पद की संख्या:	एक
3.	वर्गीकरण:	श्रेणी-I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान:	रुपये 1400-2000
5.	क्या पद प्रवरण अथवा अप्रवरण है ।	प्रवरण
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	45 वर्ष तथा इससे कम

उपबन्धित है सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा उन उम्मीदवारो पर लागू नही होगी जो पहले ही तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हो ।

आगे उपबन्धित है कि तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार यदि नियुक्ति तिथि की अधिकतम आयु सीमा पार कर गया हो, तो इसे निर्धारित आयु सीमा में उस आधार पर छूट नहीं दी जायेगी ।

आगे उपबन्धित है कि अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में देय छूट उतनी है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशो के अन्तर्गत अनुमत है ।

आगे उपबन्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत निकायों के लिए स्थाई कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगम तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तलीत होने से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, की भी सरकारी कर्मचारियों की भान्ति सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा में छूट होगी, इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नही होगी जो उक्त निगमों स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे/हो, और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से इन निगमों /स्वायत निकायों में अन्तलीत हो गये हो ।

टिप्पणी:-

1. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा, आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित अन्तिम तिथि को गिना जायेगा ।

2. सीधी भर्ती की स्थितियों में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिए आयु सीमा तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय हो होगी ।

7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा अनिवार्य अन्य आवश्यक योग्यतायें ।	कृषि में एम.एस.सी. डिग्री उद्यान अर्थात् शास्त्र, या एम.एस.सी. डिग्री, कृषि सांख्यकी में या इसके समकक्ष (iii) अर्थात् उत्पादन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या ईकनोमिटरीज, के साथ तीन वर्ष का जिम्मेवार प्रशासनिक पद का अनुभव । वांछनीय:- कृषि/उद्यान में पी.एच.डी. डिग्री । वांछनीय योग्यतायें:- हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज, भाषा और संस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में उपयुक्तता ।
8. क्या आयु व शैक्षणिक योग्यता जिसका वर्णन सीधी भर्ती के लिए किया गया है पदोन्नति के लिए भी लागू होगी ।	आयु---------- नहीं शैक्षणिक योग्यता----हां
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि जिसको कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
10. भर्ती की प्रणाली क्या सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता ।	सीधी भर्ती द्वारा
11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वह वेतनमान जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है ।	लागू नहीं

टिप्पणी-1

पदोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31.12.83 तक ओहित पद पर कार्य सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिए निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा जैसाकि नियमों में निर्धारित है बशर्ते कि:-

(क) उपरोक्त शर्तों को मध्यनजर रखते हुये सभी मामलों पर जो सेवा किसी कनिष्ठ प्रत्याशी 31.12.83 की गई तदर्थ सेवा को मिलाकर पद पदोन्नति के लिये योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो सम्बन्धी वर्ग संवर्ग में इससे वरिष्ठ होंगें वह सभी विचारणी होंगें तथा कनिष्ठ होंगें वह सभी विचारणीय होंगें तथा कनिष्ठ प्रत्याशी से वरिष्ठ समझे जायेंगे ।

उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नति हेतू विचाराधीन हो वे कम से कम तीन वर्ष का न्यूनतम सरकारी सेवा अवधि या शर्तों एवं पदोन्नति नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की अवधि हो, दोनों में से जो भी कम हो रखते हो ।

आगे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/प्रत्याशी पदोन्नति के लिये उपरोक्त उपबन्धो= के अनुसार अनुपयुक्त/आयोग्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कनिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नति के लिये आयोग्य समझे जायेंगे ।

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के= सभी मामलों के लिये भी 31.12.83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल अवधि में जोड़ा जायेगा ।

(ग) 31.12.83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थाई करण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ।

टिप्पणी-2 जब कभी नियम-2 के अधिन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किया जायेगा।

12. यदि विभागी पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी रचना क्या है ।

समय-समय पर जैसा सरकार द्वारा गठित की गई है ।

13. परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जायेगा ।

जैसा कि विधि के आधीन अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती के लिये आवश्यक योग्यतायें ।

उपयुक्त या पद सेवा के [illegible]
का निम्नलिखित का होना आवश्यक है:-

(क) भारत नागरिक या
(ख) नेपाल की प्रजा या
(ग) भूटान की प्रजा या
(घ) विस्थापित तिब्बती जो [illegible] के एक जनवरी 1962 के उद्देश्य से आया हो ।
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका पूर्वी अफ्रीका, संयुक्त गणतन्त्र की युगांडा, तंजानिया इससे पूर्व तांगानीका, जंजीबार जाम्बिया, मालवी, जयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य [illegible] हो ।

उपबन्धित है कि वर्ग ख.ग,घ,और ङ से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायेगा जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश/लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा [illegible] साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु इसे नियुक्त का प्रस्ताव भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता [illegible] आवश्यक प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किया जायेगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन ।

[illegible] की [illegible] इन पदों हेतु [illegible] लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर [illegible] आयोग/भर्ती प्राधिकारी [illegible] उचित समझे [illegible] लिखित परीक्षा अथवा व्यवहारिक के आधार [illegible] किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होगा ।

17. शिथिल करने की शक्ति ।

जहाँ पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इसे इस तरह से करना है तो उसके कारणों को अंकित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्देश आदेश प्राप्त करके किसी श्रेणी, वर्ग व्यक्तियों या पद के नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है ।

विभागीय परीक्षा

सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि या इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा वह निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा :-

(क) आगामी देय दक्षता रोध पार करने के लिये
(ख) सेवा में स्थायीकरण ।
(ग) आगामी उच्च पद में पदोन्नति ।

उपबन्धित है कि यदि एक सदस्य उपर्युक्त अवधि के भीतर पदोन्नति के लिये अन्यथा पात्र बन जाता है, उसकी पदोन्नति के लिए विचार अन्यथा किया जायेगा और यदि अन्यथा उपर्युक्त पाया जाए, इस विभागीय परीक्षा को पास करने की शर्त पर अस्थायी पदोन्नति कर दिया जाएगा । यदि वह इसे पास करने में असफल रहता है तो उसे पदावनत किया जा सकता है ।

आगे यह भी उपबंधित है कि अधिकारी जिसने विभागीय परीक्षा को इन नियमों की अधिसूचना से पहले पहले ही अन्य नियमों के अधीन पूरी या आंशिक रूप से पास कर लिया है, उसे पूरी या आंशिक परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, पास करनी अपेक्षित नहीं होगी ।

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी के लिए इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और वह अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे नियमों के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी ।

(।।) किसी अधिकारी को उसकी सीधी पदोन्नति लाइन के किसी उच्च पद में पदोन्नत होने के उपरान्त उपर्युक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने पहले ही इससे निचले राजपत्रित पद पर उक्त परीक्षा पास कर ली हो ।

(।।।) सरकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करके विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार व्यक्तियों को किसी भी श्रेणी में या वर्ग को विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा आंशिक छुट दे सकती है ।

...